न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 145/2018 (225 आरटीए) धापूदेवी वगे. बनाम लिक्षमणराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00316)

1 धापूदेवी पत्नी भीखाराम,
2 सुखीदवी पत्नी श्री बुधाराम जातियान जाट, निवासीगण रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 लिक्षमणराम पुत्र श्री बागाराम जाति जाट, निवासी ग्राम भुण्डाना तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
2 सहायक अभियंता सार्वजनिक निमार्ण विभाग।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 13.07.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 262/2013

उपस्थित :
1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित।
3 रेस्पो. सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 262/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों. लिक्षमणराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत खातेदारी घोषणा, कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा नं. 548 रकबा 102 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 519/1 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 519/2 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 118 बीघा 9 बिस्वा भूमि रेस्पों. की नानी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। वक्त सैटलमेंट उपरोक्त खसरा सजनी के नाम से दर्ज हुआ। सजनी के जीवनकाल में सजनी के पुत्र गंगाराम का देहांत हो जाने पर व सजनी का देहांत हो जाने पर नामांतरकरण संख्या 53 श्रीमती चुनी देवी पत्नी गंगाराम दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार

25/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चुनीदेवी ने अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त खसरा रकबा का बेचान कर दिया। बेचान के आधार पर नामांतरकरण सं. 123, 135, 294, 293, 582, 153, 1541, 220 व 311 स्वीकृत किया गया। जबकि चूनी पत्नी श्री गंगाराम वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की ही हकदार थी। प्रार्थी की माता सारो 1/3 हिस्से एवं श्रीमती मीरा 1/3 हिस्से की हकदार थी। जब मीरा ने इसका ऐतराज किया तो वादग्रस्त भूमि में से 25 बीघा भूमि का बेचान मीरा के नाम कर दिया व मीरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की माता का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादग्रस्त भूमि की खातेदार श्रीमती सजनी के पुत्र की पत्नी श्रीमती चुनीदेवी ने विवादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया है एवं भूमि का और आगे बेचान की आशंका है। अतः प्रार्थी–रेस्पों संख्या 1 ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय से वाद के लंबित रहने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के जरिए ताफैसला दावा निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखी जावे। जिसके खिलाफ अपीलांट्स ने राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत आलोच्य अपील पेश की है। इस न्यायालय द्वारा अपील सं. 101/2016 आंशिक स्वीकार कर रिमांड की गई जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 13.09.2017 निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनते हुए प्रकरण से संबंधित दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन करते हुए अपील गुणावगुण पर निस्तारित करें।

3 माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार अपील पुनः नंबर पर ली जाकर दर्ज की गई। तथा उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि सजनी के अन्य वारिसान उसकी पुत्रियां हैं जिन्होंने म्यूटेशन को लेकर अपने जीवनकाल में कोई ऐतराज नहीं किया। नानी की जमीन में हिन्दू सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के अनुसार मां यदि जीवित है तो उसके पुत्र को अधिकार नहीं मिलेगा। इस प्रकरण में जब रेस्पो. संख्या 1 की मां जीवित थी तब कोई ऐतराज नहीं किया अतः लक्ष्मणराम के कोई अधिकार उत्पन्न ही नहीं होते हैं। धापूदेवी अपीलांट संख्या 1 सद्भावी क्रेता है जून 2004 में भूमि को जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड खरीद किया। दावा वर्ष 2013 में किया है। भूमि पर खरीद के आधार पर अपीलांट धापूदेवी का कब्जा है एवं खातेदार काश्तकार है। लिक्षमण व उसकी मां खातेदार नहीं हैं प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है न ही सुविधा का संतुलन है एवं अपूर्णनीय क्षति भी उनके पक्ष में नहीं है। लोक

25/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत कैंप के कोई नोटिस नहीं दिए गए। प्रार्थना पत्र का जबाब भी पेश किया व लिखित बहास भी पेश की परंतु प्रकरण को कैंप मथानिया में ले जाकर सुनवाई का अवसर दिए बिना रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है जो गलत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने बहस में कथन किया कि वक्त सैटलमेंट सजनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। सजनी के जीवन काल में उसके पुत्र गंगाराम का देहांत हो गया। व सजनी के देहांत के समय दो पुत्रियां व पुत्रवधू जीवित थे। विवादग्रस्त भूमि में पुत्रवधू का नाम तो आ गया परंतु पुत्रियों का नाम नहीं आया। पुत्री मीरा ने ऐतराज भी किया था। पुत्री सारा के पुत्र लिक्षमणराम रेस्पो. नं. 1 ने दावा पेश किया है एवं भूमि का बेचान हो रहा है एवं आगे भी बेचान होने की संभावना है चूंकि विवाद ग्रस्त भूमि में पुत्र पुत्रियों का बराबर हिस्सा है अतः धारा 212 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा सही जारी की है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में रेस्पो. के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 1996 एस.सी. कैंडिड 1578, आर.आर.डी. 1985 पेज 655, आर.आर.डी. 14.4. 2013 पेज 222, आर.एल.डब्लू. 1194 (1) पेज 547, 2016 (2) आर.आर.टी 1354 सुप्रीम कोर्ट, 2016 (2) 1360 राज.हाई कोर्ट, आर.आर.डी. फरवरी 2005 पेज 85, 2015 (1) आर.एल.डब्लू. 450 (राज.) पेश किए।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट्स के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पोडेंट खातेदार नहीं हैं एवं उसका इस भूमि में हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अपीलांट का यह भी तर्क है कि रेस्पोडेंट द्वारा भूमि क्रय की गई है जिसके आधार पर अपीलांट रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरुद्ध गलत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैंप में बिना सूचना दिए एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि रेस्पो. 1 के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए भूमि के बार–बार बेचान की आशंका बताई है दावा घोषणा का है जिससे उसके हक प्रभावित होंगे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया जिसके अनुसार "वाद घोषणा को लेकर है जिसमें वादी के हक को लेकर अत्यधिक तनाजा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होता है अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं रखी गई तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को होगी। विवादित आराजी के खुर्द बुर्द होने की पूर्ण आशंका है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में जाहिर होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार

2/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा नंबर 548, 519/1, 519/2 में अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा निस्तारण तक कायम की जाती है मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।"

इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण की अपील सं. 101/2016 में यह विवेचन किया कि उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होना अंकित किया है परंतु उसका विश्लेषण नहीं किया है कि किस आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला जाहिर होता है। इसी प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को भी प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होना अंकित किया है परंतु उसका विवेचन नहीं किया गया है इसी प्रकार विवादित आराजी के खुर्द बुर्द होने की पूर्ण आशंका जताई है परंतु खुर्द बुर्द किस तरह होने की आशंका है क्या इस प्रकरण में भूमि का विक्रय होना खुर्द बुर्द की श्रेणी में आता है? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचन नहीं किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट प्रतीत होता है एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना कैंप मथानिया में प्रकरण का निस्तारण करना भी अपीलांट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.07.2016 निरस्त किया गया। एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिंदुओं 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णनीय क्षति के संदर्भ में उभय पक्षकारान की पुनः बहस सुन कर एवं पूर्ण विवेचन कर एक माह की अवधि में पुनः स्पष्ट आदेश पारित करे तब तक प्रकरण में उभयपक्षकारान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान दिनांक 20.09.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील सं. 101/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2017 के आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में की गई। माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 13.09.2017 निरस्त कर प्रकरण इस न्यायायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि उभयपक्ष को विधिवत सुनते हुए, प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन करते हुए धारा 225 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पर गुणावगुण पर निस्तारण करें।

8 माननीय राजस्व मण्डल की पालना में अपील का निस्तारण इस न्यायालय के स्तर से ही गुणावगुण पर किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु विवेचन किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अतः इस प्रकरण में अस्थाई

निषेधाज्ञा के लिए इन तीन बिंदुओं का विवेचन किया जा रहा है।
प्रथम दृष्टया मामला :– विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 548 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा, 548/1 रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नं. 548/2 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 91 बीघा 2 बिस्वा के खातदेार काश्तकार जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार धापुदेवी पत्नी भीखाराम, सुखीदेवी पत्नी बुधाराम जाति जाट सा. पाल जिला जोधपुर खातेदार दर्ज है। एवं खसरा नं. 548/3 रकबा 10 बीघा की खातेदार काश्तकार संवत 2066–69 की जमाबंदी के अनुसार छोटी देवी पत्नी दलाराम जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज है। तथा प्रार्थी लिक्षमणराम पुत्र श्री बगाराम जाति जाट ने खसरा नं. 548 रकबा 102 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 519/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 519/2 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 3 रकबा 118 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वाद लंबित रहने तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करने का निवेदन किया है कि प्रार्थी के हक व हिस्से की व पैतृक भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें एवं वादग्रस्त भूमि का बेचान व हस्तांतरण नहीं करें।
प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि बेचाननामा के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को वर्ष 2004 के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्रार्थी को बाहुबल व पैसों के बल पर जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया। इस प्रकार प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार कर रहा है। अप्रार्थीगण का यह कब्जा वैद्य है या अवैद्य यह दावे के निस्तारण पर ही तय हो सकेगा। इस स्टेज पर यह तथ्य साबित है कि कब्जा अप्रार्थी का है तथा उसमें हक व हिस्सा प्रार्थी का है या नहीं यह सिद्ध होना है। सैटलमेंट से वादग्रस्त खसरा सजनी के नाम से दर्ज हुआ। सजनी के जीवनकाल में सजनी के पुत्र गंगाराम का देहांत हो जाने पर व सजनी का देहांत हो जाने पर नामांतरकरण संख्या 53 श्रीमती चुनी देवी पत्नी गंगाराम दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार चुनीदेवी ने अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त खसरा रकबा का बेचान कर दिया। बेचान के आधार पर नामांतरकरण सं. 123, 135, 294, 293, 582, 153, 1541, 220 व 311 स्वीकृत किया गया। जबकि चूनी पत्नी श्री गंगाराम वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की ही हकदार थी। प्रार्थी की माता सारो 1/3 हिस्से एवं श्रीमती मीरा 1/3 हिस्से की हकदार थी। जब मीरा ने इसका ऐतराज किया तो वादग्रस्त भूमि में से 25 बीघा भूमि का बेचान मीरा के नाम कर दिया व मीरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की माता का नाम दर्ज नहीं हुआ। वादग्रस्त भूमि की खातेदार श्रीमती सजनी के पुत्र की पत्नी श्रीमती चुनीदेवी ने विवादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया है एवं भूमि का और आगे बेचान की आशंका है। इस प्रकरण में चूनी पत्नी श्री गंगाराम को 1/3 हिस्से का ही हकदार अपीलांट मान रहे हैं। तथा 1/3 हिस्से के लिए अपीलांट ने खातेदारी

2/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारों की घोषणा का दावा किया है। अतः इस न्यायालय की राय में कब्जा अप्रार्थी/रेस्पोडेंट का तो है परंतु वह वैधानिक है या नहीं इस पर दावे में तय होगा अतः वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने से रोकने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भूमि के टाइटल संबंधी विवाद उत्पन्न होने के कारण इस सीमा तक प्रथमदृष्टया मामला प्रतीत होता है। अतः यदि वाद के दौरान भूमि पर निर्माण किया जाता है अथवा बेचान/रहन किया जाता है तो उससे अनावश्यक कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होंगी, जिनको रोकना अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था। अधिनियम की धारा 212 का प्रावधान इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि इसके जरिए अदालत विवादग्रस्त संपत्ति को अंतिम रूप से अधिकार तय होने तक सुरक्षित व यथावत रख सके। इस उद्देश्य से रहन व बेचान करने से पाबंद किया जाना किसी प्रकार से गलत नहीं कहा जा सकता। जहां तक यथास्थिति रखने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं बताया है कि कब्जे की वर्तमान स्थिति क्या है। यह जाने बिना कि विवादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में कौन काबिज है यथास्थिति का आदेश कोई अर्थ नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय को यह बताना चाहिए कि वर्तमान में कौन काबिज है, यथास्थिति का आदेश देना चाहिए। इस प्रकरण में मौके पर कब्जा अप्रार्थीगण का है। अतः केवल भूमि पर निर्माण नहीं करने एवं रहन बेचान पर रोक लगाने की सीमा तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पों. के पक्ष में बनना पाया जाता है। इस संबंध में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015(1) आर.एल.डब्लू. 450 (राज.) में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार का उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला हो या नहीं लेकिन वाद के निस्तारण तक विरोधी पक्षकार को वादग्रस्त संपत्ति को अग्रेसर अन्य संकारण करने से पाबंद करने हेतु वह हकदार है।

सुविधा का संतुलन :– अपीलांट ने खातेदारी अधिकारों के बाबत दावा किया है तथा वर्तमान में कब्जा अप्रार्थीगण का है। वादग्रस्त भूमि के कई बेचान होने से तथा भविष्य में भी बेचान होने से विवाद की आशंका बनी रहेगी। भूमि के बार–बार बेचान से वाद बहुलता बढ़ेगी तथा वादग्रस्त भूमि पर काबिज व्यक्ति द्वारा यदि कोई निर्माण किया जाता है तो इससे वादी के हक व अधिकार कोई होंगे तो उनके प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। अपीलांट का बहस में यह भी कथन रहा है कि रेस्पो. सं. 1 लिक्षमणराम ने कब्जा दिलाने का दावा किया है। तथा धारा 212 के प्रार्थना पत्र में लिक्षमणराम ने दो भिन्न प्रकार के हस्ताक्षर किए हैं। धारा 212 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र आवश्यक होता है। शपथ पत्र में शपथ कर्ता के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र पर केवल प्रार्थी के दो भिन्न–भिन्न हस्ताक्षर हैं तथा अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। अपीलांट की उक्त आपत्तियों का निस्तारण विस्तृत साक्ष्य से दावे में तय हो सकेगा। प्रार्थना पत्र की स्टेज पर इनका साक्ष्य के अभाव में संभव नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

वादीगण/वर्तमान प्रार्थीगण को अपना दावा सिद्ध करने के लिए साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विधिक प्रक्रिया से गुजरना होगा उसके बाद ही वादग्रस्त भूमि में अपीलांट/रेस्पोडेंट के अधिकारों का विनिश्चय हो सकेगा। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :– चूंकि वर्तताान अप्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में वर्तमान राजस्व रिकार्ड व पंजीकृत विक्रय पत्र है। तथा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में कई बार बेचान हुआ है ऐसी स्थिति में यदि वाद के दौरान भूमि पर निर्माण किया जाता है अथवा बेचान/रहन किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेंट प्रार्थी को होगी। दूसरी ओर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार को कब्जे से बेदखल नहीं किया जा रहा है उसके लिए कृषि कार्य करने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में बेचान करने से एवं निर्माण करने से रोक लगाने पर अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं हैं। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2016 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है कि अस्थाई निषेधाज्ञाा का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा नंबर 548, 519/1, 519/2 में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा नंबर 548, 519/1, 519/2 का अप्रार्थीगण/अपीलांट ताफैसला दावा बेचान/हस्तांतरण नहीं करें तथा पक्का निर्माण नहीं करें।

25/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर